



# राजभाषा दर्पण



अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

“राजभाषा विभाग की एक प्रस्तुति”

तिथि : 10 माघ कृष्ण पक्ष 2082 शक संवत् | 13 जनवरी 2026

# प्रस्तावना

प्रिय पाठकों,

मुझे प्रसन्नता है कि “राजभाषा दर्पण” का यह प्रथम अंक आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पत्रिका राजभाषा हिंदी को डिजिटल माध्यम से प्रचार-प्रसार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के संवर्धन एवं प्रसार के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी सशक्त प्रतीक है।

हिंदी, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की आत्मा है, प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सरलता, पारदर्शिता और जनसुलभता को बढ़ाने का माध्यम भी है। राजभाषा के रूप में इसका प्रभाव तभी सार्थक होता है जब हम सभी इसके प्रयोग को व्यवहार में उतारें और इसे कार्य-संस्कृति का स्वाभाविक हिस्सा बनाएं।

राजभाषा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को चरणबद्ध, योजनाबद्ध तथा सतत रूप से बढ़ाया जाए। इस संदर्भ में प्रशिक्षण, कार्यशालाएँ, प्रतियोगिताएँ, तथा इस प्रकार की पत्रिकाएँ जागरूकता एवं प्रेरणा का एक सशक्त माध्यम हैं। आशा है कि यह पत्रिका पाठकों को न केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें राजभाषा संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों से भी निरंतर जोड़े रखेगी।

इस अंक की विशेष उपलब्धि प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों का अभूतपूर्व सहयोग है, जिन्होंने हिन्दी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर अपनी मनपसंद लेख उपलब्ध कराए हैं। ये लेख हिन्दी भाषा के प्रति उनके गहरी रुचि एवं सम्मान को भी दर्शाती है। मैं उन सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अपनी मूल रचना के माध्यम से इस पत्रिका को समृद्ध किया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि “राजभाषा दर्पण” का यह अंक पाठकों के बीच सराहा जाएगा और यह हमारे बीच राजभाषा हिंदी के प्रति सम्मान, गर्व, अपनत्व तथा व्यवहारिक उपयोगिता को और सुदृढ़ बनाने में सार्थक सिद्ध होगा।

ऋचा  
सचिव (राजभाषा)



## राजभाषा विभाग : उद्देश्य, संरचना और क्रियाकलाप

भारतवर्ष एक बहुभाषी देश है, जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ प्रचलित हैं। इन सबके बीच हिन्दी भाषा का एक विशेष महत्व है। जब भारत स्वतन्त्र हुआ था और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठित की गई थी तो संविधान निर्माताओं को सुझाव दिया गया कि देश की राजकाज की भाषा अपनी होनी चाहिए तब संविधान निर्माताओं ने देखा कि कौन सी भाषा देश में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। तब पूरे देश के परिदृश्य में यह देखा गया कि ज्यादातर लोग हिन्दी भाषी थे। इस प्रकार संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।

इसी के अनुरूप केन्द्र सरकार ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की। प्रथम में यह विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत "राजभाषा परामर्श कक्ष" के रूप में कार्य करता था, जिसे बाद में वर्ष 1975 में गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में गठित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना, उसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देना, तथा हिन्दी को प्रशासन, और शासन की प्रभावी भाषा के रूप में स्थापित करना है।

### उद्देश्य -

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में राजभाषा विभाग की स्थापना निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई है:-

- संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन - संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप हिन्दी को राजभाषा के रूप में लागू करना।
- राजभाषा नीति का कार्यान्वयन - भारत सरकार की राजभाषा नीति, नियम एवं आदेशों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में प्रशासनिक स्तर पर लागू करना।
- हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना - अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में हिन्दी में कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।
- भाषाई सशक्तिकरण - अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी भाषा में कार्य करने के लिए दक्ष बनाना।
- तकनीकी उन्नयन : कम्प्यूटर, ई-आफिस, ई-गवर्नेंस एवं अन्य डिजिटल साधनों में सरकार द्वारा निर्मित ई-टूल्स का उपयोग करके हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

### संरचना

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में राजभाषा विभाग का संगठनात्मक ढाँचा सुभवस्थित एवं बहुस्तरीय है जिसमें उच्च स्तर से लेकर कार्यान्वयन स्तर तक की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है -

- सचिव (राजभाषा) विभागाध्यक्ष होने के नाते इस विभाग के प्रमुख होते हैं। इनके अधीन ही विभाग की सभी गतिविधियाँ संचालित होती हैं।
- विभाग में सहायक अधिकारी के रूप में उप सचिव/सहायक निदेशक (राजभाषा) होते हैं, जिनके अधीन अनुवाद शाखा, स्थापना तथा प्रशिक्षण शाखा कार्य करते हैं। जिनमें अनुवाद अधिकारी से लेकर लिपिकीय कर्मचारी कार्यरत हैं।

राजभाषा का दर्जा:  
देश को जोड़ने वाली भाषा



**सितंबर 1949**  
एक ऐतिहासिक दिन

इसी दिन संविधान सभा ने हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।



**राजभाषा का मतलब क्या है?**

इसका अर्थ है 'राजकाज की भाषा', यानी सरकारी काम-काज में इस्तेमाल होने वाली भाषा।



**राजभाषा विभाग की भूमिका**

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना, प्रशिक्षण देना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना।

### **प्रमुख : क्रियाकलाप :-**

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन कार्यरत राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य हिन्दी को प्रशासनिक कार्यों में प्रभावी बनाना है। राजभाषा विभाग, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा किए जाने वाले प्रमुख क्रियाकलाप इस प्रकार है:-

### **अनुवाद कार्य :-**

प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य।  
द्वीप प्रशासन की प्रमुख रिपोर्ट, प्रकाशन और मासिक, त्रिमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन कर अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद उपलब्ध कराना।  
प्रशासन द्वार विभिन्न मंत्रालयों को भेजे जाने वाले पत्र तथा अर्धसरकारी पत्रों का अनुवाद कार्य।  
संसदीय समितियों का द्वीपों के दौरे के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का अनुवाद कार्य।  
गणतन्त्र एवं स्वतन्त्रता दिवस के दौरान उप राज्यपाल महोदय द्वारा दिए जाने वाले अभिभाषण तथा प्रशस्ति पत्रों को मूलतः हिन्दी में तैयार करना।

### **निरीक्षण एवं मूल्यांकन :-**

प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों का नियमित निरीक्षण।  
राजभाषा नियमों, अधिनियमों और आदेशों के पूर्णतः अनुपालन की समीक्षा।  
प्रशासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संकलन और विश्लेषण।  
त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय में समय पर भेजना।

### **प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ :-**

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत लिपिकीय कर्मचारियों को 06 माह का कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण प्रशिक्षण।  
प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न विषयों की जानकारी दी जाती है तथा हिन्दी में e-Office में काम करने का प्रशिक्षण और भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के ई-टूल्स की भी जानकारी दी जाती है।

### **पुरस्कार योजना :-**

पुरस्कार योजना के तहत प्रशासन के अधीन कार्यरत विभिन्न विभागों/ कार्यालयों में से हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार सचिवालय के अनुभागों में से हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुभागों को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

### **तकनीकी सहयोग:-**

ई-ऑफिस तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिन्दी कार्यशाला के माध्यम से ऑफलाइन तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण भी समय-समय पर प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों के तथा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए आयोजित की जाती है।

### **हिन्दी दिवस और हिन्दी पखावाड़ा :-**

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों/कार्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों में प्रति वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

हिन्दी दिवस के दिन अर्थात् 14 सितम्बर से 28 सितम्बर तक प्रति वर्ष हिन्दी पखावाड़ा मनाया जाता है। हिन्दी पखावाड़ा के दौरान प्रशासन के सभी कार्यालयों में अधिक से अधिक हिन्दी का प्रयोग हो, यह सुनिश्चित की जाती है तथा कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा स्कूलों तथा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए निबंध, वाक-पटुता तथा काव्य-पाठ प्रतियोगिताएँ भी आयोजित की जाती हैं।

पखावाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाते हैं। नकद पुरस्कार इस प्रकार है:-

- प्रथम – रू. 3500/- (प्रमाण पत्र के साथ)
- द्वितीय – रू. 2500/- (प्रमाण पत्र के साथ)
- तृतीय – रू. 1500/- (प्रमाण पत्र के साथ)
- सांत्वना – रू. 750/- (प्रमाण पत्र के साथ)

### **प्रचार-प्रसार :-**

हिन्दी भाषा के संवर्धन हेतु राजभाषा विभाग अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा राजभाषा संगोष्ठी का भी आयोजन करता है जिसमें मुख्यभूमि के हिन्दी विशेषज्ञों को बुलाया जाता है, जिसमें प्रशासन के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी एवं अधिकारीगण भाग लेते हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान राज्य स्तरीय हास्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन करता है जिसमें देश भर से जाने-माने हास्य कविगण अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करते हैं।

### **निष्कर्ष:**

राजभाषा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन हिन्दी को प्रशासनिक और राजकीय कार्यों की सशक्त भाषा बनाने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील है। यह विभाग न केवल संवैधानिक दायित्वों का पालन करता है, बल्कि कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी में दक्ष बनाकर प्रशासनिक कार्यकुशलता, पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही यह विभाग भाषाई विविधताओं के बीच हिन्दी को सम्पर्क और समन्वय की भाषा के रूप में विकसित कर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ करता है।



## नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, श्री विजयपुरम का दायित्व

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हिंदी को राजभाषा के रूप में सरकारी कार्यों में लागू करने और उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह समिति स्थानीय स्तर पर विभिन्न केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, बैंकों और उपक्रमों के बीच हिंदी प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करती है और उसे सुदृढ़ बनाने के उपाय करती है।

### समिति की संरचना:-

- मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन इस समिति के अध्यक्ष एवं उप सचिव (राजभाषा), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन इस समिति के सदस्य सचिव है।
- श्री विजयपुरम में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालय प्रमुख इस समिति के सदस्य है।

### उद्देश्य:-

- भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के प्रयोग हेतु निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना ।
- हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रशासनिक और व्यावसायिक कार्यों में सहज और प्रभावी बनाना।
- कर्मचारियों में शासकीय कार्यों में हिंदी प्रयोग के प्रति आत्मविश्वास और रुचि उत्पन्न करना।
- प्रशासनिक कार्यों में सरल और सहज हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग सुनिश्चित करना ।





### नीति का अनुपालन और समीक्षा

सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा वर्ष में दो बार समीक्षा बैठकें आयोजित करना।



### प्रोत्साहन एवं सम्मान

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को राजभाषा शील्ड से सम्मानित करना और हिंदी पखवाड़ा व प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।



### प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

कर्मचारियों के लिए टाइपिंग, अनुवाद और हिंदी सॉफ्टवेयर पर कार्यशालाएँ आयोजित कर उनके कौशल का विकास करना।



### लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना

भारत सरकार द्वारा राजभाषा के प्रयोग हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सदस्य कार्यालयों की सहायता करना।

### समिति का दायित्व :-

- सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करना।
- कार्यालयों के शासकीय कार्यों में राजभाषा हिन्दी का अधिकतम प्रयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।
- वर्ष में दो बैठक का आयोजन करना और बैठक में सदस्य कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करना तथा आवश्यक सुझाव और अनुशंसाएँ देना।
- राजभाषा प्रोत्साहन योजना के तहत राजभाषा नीति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को राजभाषा शील्ड से सम्मानित कर प्रोत्साहित करना।
- सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु टाइपिंग, अनुवाद और हिन्दी सॉफ्टवेयर पर कार्यशालाएँ आयोजित करना।
- राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन करना और इस दौरान कर्मचारियों को प्रेरित करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएँ और कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- विभिन्न कार्यालयों/संस्थानों के बीच हिन्दी कार्यान्वयन में सहयोग स्थापित करना।



**राजेन्द्र इन्दवार**

उप सचिव (राजभाषा), एवं सचिव (नराकास)  
राजभाषा विभाग,  
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

# राजभाषा विभाग की स्वर्ण जयंती : भाषा और एकता का उत्सव

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने जून 2025 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। यह समारोह 26 जून को नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। इस अवसर पर हिंदी सहित भारतीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित किया गया और प्रशासनिक कार्यों में इनके प्रयोग को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया।



राजभाषा विभाग की स्थापना 1 जून 1975 को हुई थी। इसका उद्देश्य हिंदी को राजभाषा के रूप में लागू करना और केंद्र सरकार के कार्यालयों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ावा देना था। 50 वर्षों की इस यात्रा ने हिंदी को प्रशासनिक और शैक्षिक क्षेत्र में एक मजबूत आधार प्रदान किया।

समारोह का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब और राज्यसभा सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम में “साहित्यकार महाकुंभ” पुस्तक का लोकार्पण किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही हिंदी और भारतीय भाषाओं पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ तथा विभाग की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी आयोजित की गई।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय भाषाएँ भारत को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम बनेंगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि JEE और NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएँ भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा में अवसर मिलेगा।

यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं था, बल्कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को प्रशासनिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प था। स्वर्ण जयंती ने यह संदेश दिया कि भाषा केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पहचान का आधार है।



## मुख्य बिन्दु

- स्थापना: 1975
- 50 वर्ष पूर्ण
- स्थान: भारत मंडपम, नई दिल्ली
- मुख्य घोषणा: JEE/NEET जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएँ भारतीय भाषाओं में।

# हिन्दी भाषा का इतिहास

भाषा और समाज का गहरा संबंध है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि भाषा के माध्यम से ही समाज का गठन अपने वर्तमान रूप में संभव हुआ है। भाषा से इतर समाज और समाज से इतर भाषा के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। भाषा संप्रेषण का साधन है अर्थात्, दो व्यक्ति भाषा के माध्यम से विचार का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक (मुक-बधिर व्यक्तियों की संकेत भाषा)



अतः सर्वप्रथम हम भाषा की उत्पत्ति के बारे में विचार करेंगे। मानव की भाषा प्रारंभ में संभवतः सिर्फ जरूरतों के सम्प्रेषण मात्र का साधन थी परंतु मानव ने सम्प्रेषण के इस साधन को माँजकर सम्पन्न बनाया और इसी भाषा के कारण हमारे पास ज्ञान-विज्ञान तथा साहित्य के विभिन्न कोष उपलब्ध हैं। लेखन के आविष्कार से भाषिक सम्प्रेषण और भाषा के विकास को एक गति मिली। अतः किसी भी राष्ट्र की भाषा के विकास में वहाँ के साहित्य रचना का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

हिन्दी भाषा के विकास को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक होगा कि किसी भी भाषा के विकास में जनमानस की क्या भूमिका होती है। भाषा में रचनात्मक क्षमता तभी तक होती जब तक वह लोकसामान्य के अनुभव से जुड़ी होती है।

भाषा जब लोक जीवन से अलग होकर कुछ वर्ग तक सीमित होने लगती है तब उसमें एक प्रकार की जड़ता आने लगती है। फिर रचनात्मक प्रतिभा उस जड़ता को त्याग कर नए मनोभाव के अनुकूल नई भाषा की रचना करती है।

हिन्दी भाषा के आरंभ से ही हिन्दी साहित्य के आरंभ पर विचार किया जा सकता है। डॉ. नगेन्द्र के अनुसार हिन्दी भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एकरूप नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी उत्पन्न हो जाता है। किन्तु जब तक उन रूपों की तात्त्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध करते हैं।


इसी क्रम में हिन्दी भाषा के विकास में हिन्दी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन और नामकरण आवश्यक हो जाता है क्योंकि भाषा और साहित्य का आपसी और घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चितवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है जनता की चितवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। चूंकि साहित्य भाषा का एक लिखित रूप है अतः साहित्य रचना के साथ-साथ भाषा का भी विकास और परिवर्तन होता है।

जनता की चितवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इसके अनुसार हम हिन्दी भाषा के साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त कर सकते हैं।

- **आदिकाल (वीरगाथाकाल - संवत् 1050-1375)**
- **पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल- संवत् 1375-1700)**
- **उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल - संवत् 1700-1900)**
- **आधुनिक काल (गद्यकाल संवत् 1900- अब तक)**

यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण हुआ पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थीं।

**हिन्दी की उत्पत्ति** - आज की आधुनिक हिंदी ने एक लम्बी यात्रा तय की है। प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा थी। ऐसा मान्यता है कि माता सती के आत्मदाह के कारण क्रोधित होकर शिव जी ने अपने रौद्र रूप में तांडव नृत्य किया और उनके डमरू से जो ध्वनि निकली उसे महर्षि पाणिनी ने संकलित किया जिसे हम महेश्वर सूत्र कहते हैं। महेश्वर सूत्र जिन्हे शिव सूत्र भी कहा जाता है संस्कृत वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करते हैं।



सर्वप्रथम वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई। अतः वैदिक संस्कृत ऋग्वैदिक काल में साहित्य रचना का माध्यम बना। तत्पश्चात् जैसा पहले ही कहा गया है कि कोई भी भाषा अपने प्रवाह में अक्षुण्णता में सदा एकरूप नहीं रह सकती। अतः अपनी यात्रा में उत्तर वैदिक काल तक संस्कृत भाषा थोड़ी परिवर्तित हुई और लौकिक संस्कृत का आविर्भाव हुआ। यह काल था 1500 ई. पू. से 500 ई. पू. तक का चूंकि संस्कृत भाषा विद्वानों की भाषा थी जिसे समझना अत्यंत कठिन था अतः इसमें कुछ अशुद्धियाँ आती गईं और यह परिवर्तित होती गई। सन् 500 ई. पू. से 9 ईस्वी शदी तक बौद्ध आंदोलन का युग था जहाँ गौतम बुद्ध द्वारा अपने अनुयायियों को उपदेश दिया जाता था। अतः लौकिक संस्कृत ने पालि का रूप ले लिया। तत्पश्चात् जैन आंदोलन की शुरुआत हुई और पालि भाषा प्राकृत भाषा में परिवर्तित हो गई। इसके उपरान्त स्थान व काल के भेद से प्राकृत भाषा में कुछ बदलाव आए जो अपभ्रंश कहलाने लगी। अपभ्रंश से आवहट्ट, आवहट्ट से पुरानी हिन्दी और अन्ततः नई हिन्दी का जन्म हुआ।

अतः हम कह सकते हैं की आज की आधुनिक हिन्दी ने वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पालि, पालि से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट और फिर अवहट्ट से हिन्दी का स्वरूप लिया।

अपभ्रंश भाषा का समय 500 ई. पू. से 1000 ई. पू. तक माना जाता है अपभ्रंश का अर्थ है भ्रष्ट, विकृत अथवा अशुद्ध। आरंभ से संस्कृत के विकृत शब्द रूप के लिये अपभ्रंश का अर्थ-विस्तार हुआ और यह भाषा विशेष के लिए प्रयुक्त होने लगी। भाषा विशेष के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास मिलता है। भारतीय आर्यभाषा के विकास में अपभ्रंश प्राकृत के बाद की अवस्था है। इस भाषा में आठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी के बीच के साहित्य का सृजन हुआ।

वेदों की भाषा छंद ने तत्कालीन देशी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप लिया। इसी प्रकार पालि, प्राकृत और अपभ्रंश अवस्था का जन्म हुआ। छंदस से संस्कृत तक का समय 1500 ई. पू. तक माना जाता है और इन्हे प्राचीन आर्यभाषा कहा जाता है पालि, प्राकृत, अपभ्रंश मध्यकालीन आर्यभाषाएं हैं जो 500 ई. पू. से 1000 ई. पू. तक मानी जाती हैं।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएं (सिन्धी, गुजराती, अवधि, ब्रज, पंजाबी, आदि) 1000 ई. पू. से वर्तमान समय तक मानी गई हैं। जब संस्कृत लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी तब प्राकृत लोकभाषा के रूप में इसके समानांतर चल रही थी। जब संस्कृत पंडितों की भाषा रह गई और जनता से उसका संपर्क टूट गया तब प्राकृत में धीरे-धीरे साहित्यिक भाषा का रूप ले लिया। इसी प्रकार जब प्राकृत रूढ़ और बद्ध हो गई तब अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में सामने आई। आगे चलकर अपभ्रंश का युग भी समाप्त हुआ और आधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्य की रचना की जाने लगी। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा की अंतिम कड़ी और आधुनिक भारतीय आर्यभाषा की जननी है। हिन्दी भी उनमें से एक है। इसीलिए हिन्दी साहित्य को समझने के लिए अपभ्रंश साहित्य को समझना जरूरी है।



# हिंदी ही वह भाषा है,

## जो हमें भारतीय बनाती है और हमारी विविधता को एकता में बदलती है।

- सी. राजगोपालाचारी

इसीलिए हिन्दी भाषा के प्रारंभिक रूप की जानकारी भी हमें सिद्धों और नाथों के साहित्यिक रचनाओं से ही मिलती है। जैन साहित्य का अध्ययन करने पर हम देखेंगे कि उसकी भाषा हिन्दी के आदि-कालीन स्वरूप का परिचय देती है। हिन्दी के प्राचीन रूप को विकास की ओर अग्रसर करने में आदिकालीन रासो साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। पृथ्वीरासो की भाषा में कहीं हिन्दी कहीं राजस्थानी मिश्रित हिन्दी कहीं ब्रजभाषा के रूप सही विकृत अपभ्रंश के रूप उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः रासो की भाषा ब्रजभाषा का ही एक रूप है। तेरहवीं शताब्दी के आसपास विकसित हिन्दी के एक अन्य रूप 'हिंदवी' की झलक हमें अमीर खुसरो के साहित्य में दिखाई देती है।

**वस्तुतः** आदिकाल में हिन्दी-साहित्य के समानांतर संस्कृत और अपभ्रंश-साहित्य की भी रचना हो रही थी। इनमें से संस्कृत-साहित्य का तो सामान्य जनता तथा हिन्दी पर उतना प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ रहा था किन्तु अपभ्रंश साहित्य भाषा की निकटता के कारण हिन्दी साहित्य के लिए निरंतर साथ चलने वाली पृष्ठभूमि का काम कर रही थी। इसी अपभ्रंश साहित्य को हम जैन-बौद्ध ग्रंथों और इसके अतिरिक्त एक अन्य धारा लौकिक साहित्य की धारा में पाते हैं जिसमें शृंगार प्रधान प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएँ शामिल हैं। अपभ्रंश भाषा का ही आगे चलकर हिन्दी भाषा के रूप में विकास हुआ। वस्तुतः यह भाषा छंद, काव्यरूप काव्यगत रूढ़ियों और विषय वस्तु की दृष्टि से अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का ही विकास है परंतु उस भाषा का मिज़ाज बदला हुआ है। भाषा का मिज़ाज बदलने का प्रमुख कारण जीवन और समाज के स्थापित कर्मकांड के प्रति विद्रोह था।

चौदहवीं शताब्दी में मुसलमान शासकों द्वारा दक्षिण भारत पर भी आक्रमण होने से इन शासकों के साथ मौलवी एवं व्यापारियों आदि का भी दक्षिण भारत में आगमन हो गया उस समय राजधानी के आस पास बोली जाने वाली भाषा का लोग अपने साथ ले गए। अब दक्षिण भारत के निवासियों के साथ व्यवहार एवं जनसम्पर्क के लिए एक ऐसी भाषा का रूप विकसित हुआ जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्द भी आ गए। धीरे-धीरे भाव के इस रूप को स्थिरता मिली और यही भाषा आगे चलकर 'दक्खिनी हिन्दी' के नाम से जानी जाने लगी।

भारतवर्ष के लिए यह प्रसिद्ध है कि यहाँ दस कोस पे पानी बदले और बीस कोस पे बानी। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो वास्तव में तथाकथित हिन्दी प्रदेश की हिन्दी भी एक सी नहीं है। हिन्दी प्रदेश में छः प्रांत शामिल हैं उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, व हिमाचल प्रदेश। यद्यपि विभिन्न प्रांतों की हिन्दी भी भिन्न-भिन्न प्रकार की है परंतु बोधगम्यता की कड़ी उन्हें एक माला में पिरोती है। हिन्दी की पाँच उपभाषाएँ हैं जो निम्नप्रकार से हैं।

- पश्चिमी हिन्दी
- राजस्थानी हिन्दी
- पूर्वी हिन्दी
- बिहारी हिन्दी
- पहाड़ी हिन्दी

यदि हम प्रत्येक भारतीय नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो हमें राष्ट्र भाषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए, जो देश के सबसे बड़े भू-भाग में बोली जाने वाली है और यह भाषा है हिन्दी।

- गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर

यह सुनने में भले ही अजीब लगे परंतु यह भी एक सत्य है कि हिन्दी देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी बोली सुनी पढ़ी और लिखी जाती है। प्रवासी भारतीयों ने अपनी अस्मिता बनाए रखने की प्रक्रिया में हिन्दी अथवा उसकी कोई न कोई क्षेत्रीय बोली को न केवल जनसम्पर्क भाव के रूप में जीवित रखा वरन् आपस में जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक कड़ी और भावनात्मक एकता को मूल आधार के रूप में भी इसे जीवित रखा। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भारत की आनेकानेक भाषाओं में हिन्दी और उसकी बोलियाँ ही एक भाषा है जो अधिक मात्र में देश की सीमा के बाहर भी प्रयुक्त होती है।

अतः हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष की अनेक भाषाओं में से एक अत्याधिक महत्वपूर्ण भाषा हिन्दी है। इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है जिसमें अनेक बोलियाँ/उपभाषाएँ हैं। यह भारत में संपर्क भाषा के रूप में पिछली अनेक शताब्दियों से विकसित हुई है। राष्ट्रभाषा के रूप में भारत के स्वतंत्र आंदोलन के साथ जुड़ी रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का पद प्राप्त हुआ।

राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा राजकीय कार्य चलाने की भाषा। भाषा का वह रूप राजभाषा है जिसके द्वारा राज्य चलाने में सुविधा हो। राजभाषा शब्द प्राचीन नहीं है यह तो संविधान में राजकाज की भाषा चलाने संबंधी अनुच्छेद -343 से 351 तथा अष्टम अनुसूची के जुड़े जाने से राजभाषा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। इसके पूर्व राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया जाता था।

अतः हम देख सकते हैं कि हिन्दी भाषा ने एक लंबी यात्रा तय करके अपने आप को परिष्कृत किया और आधुनिक हिन्दी के रूप में स्थापित किया जिसने भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा का दर्जा प्राप्त किया।

कनक पंकज पाण्डेय  
सहायक लेखा अधिकारी, टेक्स्टबुक ब्यूरो  
शिक्षा विभाग

# राजभाषा हिंदी : राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक

## संपर्क और संवाद का सेतु



ऐतिहासिक उदाहरण:  
अंडमान की सेल्यूलर जेल

लगभग 40 विभिन्न प्रांतों के स्वतंत्रता सेनानियों  
ने आपसी संपर्क के लिए हिंदी को अपनाया।



## आम बोलचाल की शक्ति

सरल हिंदी गाँव-शहर, पढ़े-लिखे और कम पढ़े,  
सभी के बीच एक पुल का काम करती है।



## वैश्विक जुड़ाव

प्रवासी भाषाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ने  
वाली यह देश के बाहर सबसे अधिक प्रयुक्त  
होने वाली भारतीय भाषा है।

हिंदी भारत वर्ष की राजभाषा है, जो देश की एकता और अखंडता का परिचायक है। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाये जाने की मांग पर विचार करते हुए 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारते हुए मान्यता प्रदान किया। एक भाषा के रूप में हिंदी भारत वर्ष की पहचान ही नहीं अपितु यह प्रत्येक भारतवासी के जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की संप्रेषक व परिचायक भी है।

हिंदी भाषा युगों से भारतीय संस्कृति और सभ्यता को संजोने और इसे जन-जन तक पहुँचाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाती आ रही है। अत्यंत सरल व सहजता को संजोये हुए हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है जिसे समझने और बोलने वाले लोग व्यापक संख्या में हैं।

यह केवल इसकी व्यापक पहुँच और समझ के कारण ही नहीं, बल्कि इसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के कारण भी अपना महत्व रखती है, चाहे वह साहित्य हो, कविता हो, फिल्म हो या संगीत। हिंदी भाषा ने साहित्य के क्षेत्र में विश्वभर में अपनी अतुल्य पहचान बनाई है, जिसमें तुलसीदास, कबीर, और प्रेमचंद जैसे महान लेखकों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

आज के समय में, हिंदी भाषा का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह एक ऐसा सूत्र है जो देश की विभिन्न संस्कृतियों, परम्पराओं और भाषा-भाषी के लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है। हिंदी शिक्षा, प्रशासन और संचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

हिंदी दिवस के अवसर पर, हमें देश की एकता और अखंडता के प्रतीक अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति अपनी उत्तरदायित्व को पुनः दोहराते हुए इसके विकास और प्रसार के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हिंदी हमारी पहचान है, और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। आइए, हम सब मिलकर हिंदी भाषा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ कर इसे आगे बढ़ाने में भरसक योगदान दें।

**घनश्याम**

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी  
राजभाषा यूनिट, लोक निवास

## द्वीपसमूह में हिन्दी का विकास


भारत की मुख्यभूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। यह द्वीपसमूह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण विभिन्न समय पर विभिन्न लोगों ने अपने-अपने सुविधानुसार इसका उपयोग किया। वे लोग इसके नामकरण भी अपने-अपने तरीके से भिन्न-भिन्न रूप में किए। भारतीय इतिहास में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1789 में यहाँ एक औपनिवेशिक कॉलोनी स्थापित किया था। किसी कारणवश उस समय वह कॉलोनी स्थापित होकर भी दीर्घस्थायी नहीं हुआ। इसके लगभग 60 वर्षों के बाद वर्ष 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन के उपरांत ब्रिटिश सरकार यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को 'द्वीपांतर' की सजा देने लगे जिसे कुख्यात 'कालापानी की सजा' के नाम से जाना जाता था। क्योंकि इस द्वीपसमूह के चारों ओर हजारों मील तक समुद्र फैली हुई है जिसे पार करके कोई भाग नहीं सकता था। उन कैदीयों में से अधिकतर भूख-प्यास से ही मर जाते थे या किसी जहरीले साँप-बिच्छु के डसने से उनकी मौत हो जाती थी। अगर कोई किसी प्रकार बच भी जाते उसे यहाँ के आदिम जनजाति अपने जहरीले तीरों से मार डालते थे। कई वर्षों के उपरांत सन 1896 में यहाँ पर कुख्यात सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ और सन 1906 में जेल बनकर तैयार हो गया। उसके बाद से ही कैदीयों को जेल में बंदी रखकर कठोर सजा दिए जाने लगा। इसके बाद के दिनों में ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों से केवल स्वतंत्रता सेनानियों को ही नहीं बल्कि अन्य अपराधियों को भी सेल्यूलर की सजा होने लगी।



चूंकि वे अलग-अलग प्रांतों के अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग थे इसलिए वे जो जितना हो सके हिन्दी बोली में बातचीत करते थे और आपसी सम्पर्क बनाए रखने का प्रयत्न करते थे। जैसे जो बंगाल के थे उनके हिन्दी बोल-चाल में बंगाली शब्द मिश्रण अधिक होता था और उनके बातचीत करने के तौर-तरीके में भी बंगाल की छाप रहता था। इसी तरह भिन्न-भिन्न प्रदेशों से आए हुए लोगों की बात-चीत में उनके प्रांत के छाप जरूर होता था। केवल कैदी ही नहीं अंग्रेज अधिकारी भी अपनी बात को समझाने के लिए अंग्रेजी के साथ-साथ अपने अंदाज में हिन्दी भी बोलते थे। धीरे-धीरे अंग्रेजी हुकूमत को यह समझ आ गया कि यदि इस देश पर अधिक समय तक शासन करना है तो हिन्दी भाषा को अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि यह भाषा देश के अधिकांश भागों में बोली और समझी जाती थी। इसलिए हिन्दी भाषा सीखने के लिए सर्वप्रथम कलकत्ता के फोर्ट विलियम कालेज में हिन्दी का अध्ययन शुरू किया गया और इस द्वीपसमूह में उन्हीं अंग्रेज अधिकारियों को ही भेजने के लिए प्राथमिकता दी जाने लगी जिन्हें हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान था, जिससे वे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सजायाफ्ता कैदीयों से सम्पर्क कर सकें। इस तरह धीरे-धीरे एक नई हिन्दी बोली का विकास होने लगा हालांकि इस तरह की हिन्दी बोली में साहित्य की रचना न के बराबर होती थी लेकिन सम्पर्क भाषा के रूप में यह हिन्दी एक सशक्त माध्यम बन गई थी।

कालांतर में पोर्ट ब्लेयर (वर्तमान में श्री विजयपुरम) एक ऐसी जगह थी जहाँ बर्मी, मलाई, संगली, निकोबारी और अन्य आदिम जनजाति, कश्मीरी, ईरानी, अरबी, पारसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, एंग्लो इंडियन, फ्रेंच, नेपाली, वगैरह के साथ-साथ भारत के सभी प्रांत के लोग जैसे -पंजाबी, सिंधी, गुजराती, ब्रजवासी, बुंदेलखंडी, ओड़िया, बंगाली, तेलुगु, मराठी, कर्नाटकी, तमिल, मलयालम, गौड़, भील, कोल, संथाल, आदि सभी भाषा-भाषी के लोग मौजूद थे।

कुल मिलाकर लगभग 40 विभिन्न जातियाँ और भाषा बोलने वाले लोग मौजूद थे। सब लोग आपस में मिलने-जूलने पर हिदस्तानी या हिन्दी में बात-चीत करते थे। पोर्टब्लेयर में बंदी उपनिवेश प्रारम्भ होने के बाद यहाँ के विद्यालयों में सरकारी कर्मचारियों अर्थात् कैदमुक्त लोग और कैदी दोनों के बच्चे साथ-साथ पढ़ते थे, अंग्रेजी माध्यम का एक ही विद्यालय था जहाँ पांचवी कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। यूरोपियन लोग दस वर्ष से पहले अपने बच्चों को सेटेलमेंट के विद्यालय से हटा लेते थे क्योंकि माध्यमिक कक्षा की पढ़ाई प्राइवेट में करनी होती थी। इसके बाद यहाँ के अन्य कई जगह जैसे अबरडीन, बम्बूप्लाट, गाराचरामा, ब्रुक्शाबाद, मीठाखाड़ी, धानीखाड़ी, टुश्नाबाद, आदि जगहों पर भी प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ किया गया था। लेकिन सभी विद्यालय में पढ़ाने का माध्यम उर्दू ही था। धीरे-धीरे इन सभी जगहों के लोगों ने विद्यालयों में हिन्दी विषय भी पढ़ाने की मांग की और कुछ ही वर्षों में इन विद्यालयों में हिन्दी विषय भी पढ़ाई जाने लगी।



सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा आदि में भी शिक्षा के केन्द्र हुआ करता था। मंदिरों में बालक-बालिकाओं को हिन्दी पढ़ाई जाती थी, जिसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी। मंदिरों में हिन्दी पढ़ाने के लिए विशेषकर बनारस से पंडितों को बुलवाया गया था। मंदिर में पढ़ाने के अतिरिक्त वे लोग लोगों के घरों में जाकर गृहिणियों को भी हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा देते थे ताकि वे अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। वर्ष 1936-37 में डा. दीवान सिंह गुरुद्वारे में हिन्दी भाषा की प्रारंभिक कक्षाएं शुरू की गई थी।

इसके बाद के कालखंड में इन द्वीपों में भारत के कई प्रांतों से विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को लाकर बसाया गया जिसमें देश विभाजन के कारण पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर रिफ्यूजी बनकर आए हिन्दू धर्म के लोग बहुतायत में थे। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार तथा आन्ध्रप्रदेश आदि के लोग भी थे। भाषाई विविधता के कारण इन्होंने सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी या जिसे हिन्दुस्तानी भाषा भी कहते थे को ही अपना लिया था। जो हिन्दी या हिन्दुस्तानी बोली वे लोग बोलते थे वो एक मिली-जुली हिन्दी या हिन्दुस्तानी बोली होती थी क्योंकि उनका न तो भाषा पर अधिकार था और न ही उस भाषा के प्रति उनका आत्मविश्वास। उसका अपना अलग रंग था, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर जगह में बोली जाने वाली भाषा के कोई न कोई शब्द जरूर होता था। बोलते समय हर एक के लिए पुलिंग शब्द ही प्रयोग होता था जैसे- 'मैं घर जाता' हूँ या 'मैं घर जाती हूँ', दोनों के लिए 'हम घर जाता है' कह दिया जाता था। उर्दू के शब्दों को भी तोड़-मरोड़ कर अपने ढंग से बोलते थे जैसे 'खुबसूरत' को 'खबसूरत', 'काम' को 'कमान' आदि।

अंग्रेजी शब्दों का तो न केवल गलत उच्चारण करते थे बल्कि उसका अनुवाद भी कर लेते थे जैसे- 'एलिफेंट पॉइंट' को 'हाथीटापू', 'बडस् व्यू पॉइंट' को 'चिडिया टापू' आदि। वे अंग्रेजी उच्चारण में भी बदलाव कर अपने अंदाज में बोलते थे जैसे 'लम्बा लाईन, बाबू लाईन, आदि के अलावा 'सैक्शन' को 'सीक्शन', 'क्लास' को 'किलास' 'ग्लास' को 'गिलास' आदि। वे गिनते समय 'एक सौ छब्बीस' को 'एक सौ बीस छः', सैतालिस को चालिस सात, तिरपन को पचास तीन आदि कहते थे। भातु लोग तो केवल दस का हिसाब रखते थे जैसे - दस, दो दस, तीन दस, नब्बे के लिए नौ दस बोलते थे।

भाषा में हजारों अशुद्धियाँ होते हुए भी उसकी अपनी सुन्दरता थी एवं अजीब अंदाज था और समझने में भी आसान था। इस तरह बोली जाने वाली बोली कानों को भी भली लगती थी। इस भाषा को धीरे-धीरे यहाँ के विभिन्न भाषाई लोगों के साथ-साथ यहाँ के आदिम जनजाति के लोग भी अपनाने लगे थे। वे अपनी परम्परागत भाषा के अलावा अण्डमान में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा में बातचीत करना अधिक पसंद करने लगे।

कालांतर में भारत सरकार ने हिन्दी भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, हिन्दी भाषा बोली जाने वाली लोगों की बहुतायत को देखते हुए सम्पूर्ण देश के विभिन्न प्रांतों को अलग-अलग क्षेत्र में विभाजित किया गया। इस तरह अण्डमान में सम्पर्क भाषा के रूप में पनपी भाषा हिन्दी होने के कारण अण्डमान को 'क' क्षेत्र में रखा गया। जहाँ सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाना है।

**(संदर्भ : शकुंतला शिवराम की पुस्तक : अंडमान के इतिहास का सफर")**

**सत्यजीत बेन**  
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी  
सहकारिता विभाग

# निकोबारी जनजाति में हिंदी भाषा की लोकप्रियता

भारत के अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्थित निकोबार द्वीपों पर रहने वाली निकोबारी जनजाति एक विशिष्ट सांस्कृतिक और भाषाई पहचान रखती है। निकोबारी जनजाति विशेष रूप से निकोबार द्वीपों में निवास करती है। यह जनजाति मुख्यतः ऑस्ट्रो-एशियाई भाषा परिवार की निकोबारी भाषाएँ बोलती है, जिनमें निकोबारी, चौरा, तेरेसा आदि द्वीपों की स्थानीय बोलियाँ शामिल हैं। निकोबारी जनजाति की अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा (निकोबारी), रीति-रिवाज और जीवनशैली है। परंतु समय के साथ, विशेष रूप से शिक्षा, प्रशासन और मीडिया के प्रभाव से हिंदी भाषा का इनके बीच प्रभाव बढ़ा है।



## हिंदी भाषा की पहुँच

हाल के वर्षों में हिंदी भाषा की लोकप्रियता निकोबारी जनजाति में धीरे-धीरे बढ़ी है। इसके पीछे कई कारण हैं:-

- शिक्षा का प्रभाव: सरकारी स्कूलों और शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होने के कारण बच्चों और युवाओं में हिंदी का ज्ञान बढ़ा है।
- मीडिया और संचार: टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से हिंदी भाषी कार्यक्रमों की पहुँच ने हिंदी को जनजातीय जीवन में प्रवेश दिलाया है।
- प्रशासनिक संपर्क: प्रशासनिक कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सरकारी योजनाओं में हिंदी का प्रयोग आम है, जिससे स्थानीय लोग हिंदी सीखने को प्रेरित हुए हैं।
- सांस्कृतिक मेलजोल: मुख्यभूमि भारत से आने वाले लोगों के साथ संपर्क बढ़ने से हिंदी संवाद का माध्यम बन गई है।

## सामाजिक प्रभाव

हिंदी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता ने निकोबारी समाज में कुछ सकारात्मक बदलाव लाए हैं:

- अन्य समुदायों से जुड़ाव: हिंदी के माध्यम से निकोबारी लोग भारत के अन्य हिस्सों से बेहतर संवाद कर पा रहे हैं।
- शैक्षणिक अवसर: हिंदी जानने से उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना आसान हुआ है।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: हिंदी फिल्मों, गीतों और साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति से जुड़ाव बढ़ा है।

## चुनौतियाँ

हालाँकि हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ कुछ चिंताएँ भी हैं:

- स्थानीय भाषाओं का संरक्षण: हिंदी के बढ़ते प्रयोग से निकोबारी भाषाओं के विलुप्त होने का खतरा है।
- बुजुर्गों की दूरी: कई बुजुर्ग हिंदी नहीं जानते, जिससे पीढ़ियों के बीच संवाद में बाधा आती है।

## निष्कर्ष

निकोबारी जनजाति में हिंदी भाषा की लोकप्रियता एक सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। यह जहाँ एक ओर विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर दोनों पक्षों को सुदृढ़ किया जा सकता है। हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि एक सेतु है जो विविधता में एकता को साकार करता है।

चैरिटी कैंवैन  
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी  
उपायुक्त(द.अ) का कार्यालय

# हिंदी : आम बोलचाल की भाषा

## प्रस्तावना

हम सब रोज़ किसी न किसी से बात करते हैं—घर में, बाज़ार में, ऑफिस में या दोस्तों के साथ। ज़रा सोचिए, हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर समय हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन वह किताबों वाली कठिन हिंदी नहीं, बल्कि आम बोलचाल की हिंदी। यही वो भाषा है, जिसमें बातें करना आसान भी है और मज़ेदार भी।

## क्यों है यह खास?

आम बोलचाल की हिंदी में न कोई भारी-भरकम शब्द होते हैं, न उलझी हुई वाक्य-रचनाएँ। सीधी, सरल और सबको समझ आने वाली भाषा।

उदाहरण के लिए:- “ज़रा पानी देना।”- “कहाँ जा रहे हो?”- “मैं अभी आता हूँ।” ये वाक्य इतने आसान हैं कि कोई भी इन्हें समझ सकता है, चाहे वह शहर में रहता हो या गाँव में।

## हर जगह, हर अंदाज़

दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना—हर जगह हिंदी का अंदाज़ थोड़ा अलग होता है। कहीं इसमें उर्दू के शब्द घुल जाते हैं, तो कहीं राजस्थानी या भोजपुरी का रंग। फिर भी, मज़े की बात यह है कि कोई भी इन्हें समझ लेता है। यही वजह है कि आम बोलचाल की हिंदी अलग-अलग जगह के लोगों को जोड़ देती है।

## फिल्मों और मीडिया का असर

अगर आपने हिंदी फिल्में या टीवी सीरियल देखे हैं, तो आपने नोट किया होगा कि उनमें ज़्यादातर संवाद इसी आम हिंदी में होते हैं। इससे लोग जल्दी जुड़ जाते हैं।

सोशल मीडिया पर भी यही भाषा छाई हुई है—व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम पोस्ट या यूट्यूब वीडियो... सब जगह वही आसान, रोज़मर्रा की हिंदी दिखती है।

## पढ़ाई और काम में भी मददगार

स्कूल या कॉलेज में शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत ज़्यादातर इसी तरह की होती है। दफ्तरों में भी, जब सहकर्मी आपस में बात करते हैं तो शुद्ध, संस्कृतनिष्ठ हिंदी की बजाय बोलचाल की भाषा ज़्यादा सहज लगती है। सरकारी योजनाओं के प्रचार में भी अगर आम हिंदी का इस्तेमाल हो, तो लोग जल्दी समझ जाते हैं।

## तकनीक के दौर में भी ज़िंदा

मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में भी आम हिंदी पीछे नहीं है। यूनिकोड, हिंदी कीबोर्ड और वॉइस टाइपिंग ने इसे और आसान बना दिया है। अब लोग फोन पर मैसेज भी हिंदी में टाइप करते हैं और वीडियो कॉल पर भी इसी भाषा में बात करते हैं।

## लोगों को जोड़ने वाली भाषा

आम हिंदी सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक तरह का रिश्ता बनाती है। इससे लोग औपचारिकता से हटकर अपनेपन के साथ बात करते हैं। यही कारण है कि यह गाँव-शहर, पढ़े-लिखे और कम पढ़े, सभी के बीच पुल का काम करती है।

## निष्कर्ष

आम बोलचाल की हिंदी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की धड़कन है। इसमें न बनावट है, न दिखावा—बस अपनापन है। यह भाषा हमें एक-दूसरे से जोड़ती है और हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करती है। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, यह भाषा हमेशा हमारे साथ रहेगी—बिल्कुल उसी तरह जैसे रोज़ सुबह “सुप्रभात” की बजाय “गुड मॉर्निंग” बोलने पर भी घर के आँगन से आती आवाज़—“खाना खा लो बेटा”—हमेशा हिंदी में ही सुनाई देती है।

जे. एलिज़ाबेथ मेरी

वरिष्ठ सहायक, अनिडको

# हिन्दी मनोरंजन की भाषा

## प्रस्तावना:

मनुष्य के जीवन में मनोरंजन का विशेष महत्व है। काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच मन को हल्का करने और खुश रखने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। जैसे भोजन शरीर के लिए ऊर्जा देती है, वैसे ही मनोरंजन मन के लिए ताजगी और ऊर्जा देता है। इस मनोरंजन को प्रभावी और आनंददायक बनाने में भाषा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। मनोरंजन की भाषा वह है जो सहज, रोचक, आकर्षक और भावनाओं को छूने वाली हो।

## मनोरंजन की भाषा की परिभाषा:

मनोरंजन की भाषा वह शैली है जिसने संवाद, गीत, कविताएँ, हास्य, कहानी और प्रस्तुति इस तरह होती है कि व्यक्ति आनंद, हंसी और उत्साह का अनुभव करें। यह भाषा श्रोता या दर्शक के मन में तुरंत असर डालती है और उसे अपने साथ जोड़े रखती है।

## मुख्य विशेषताएँ:

1. सरलता और सहजता : मनोरंजन की भाषा में कठिन और भारी-भरकम शब्दों के बजाय सरल और बोलचाल के शब्द होते हैं।
2. भावनात्मकता : इसमें खुशी, हास्य, रोमांच, आश्चर्य, दुख या प्रेम - किसी भी भावना को अभिव्यक्त करने की ताकत होती है।
3. लय और ताल : गीत, कविता या नाटक में मनोरंजन की भाषा में लय और ताल का मेल होता है, जिससे श्रोता का मन बंधा रहता है।
4. रचनात्मकता : इसमें शब्दों के खेल, मजेदार कहावतें, दोहरे अर्थ और चुटकुले शामिल होते हैं, जिससे यह और रोचक बनती है।
5. दृश्य और श्रव्य प्रभाव : फिल्म, नाटक और मंच कार्यक्रम में संवाद इस तरह बोले जाते हैं कि देखने और सुनने वाला दोनों आनंदित हों।

## मनोरंजन की भाषा के प्रकार:

1. हास्य की भाषा: जिसमें चुटकुले, मजेदार किस्से और हल्के-फुल्के व्यंग्य होते हैं जैसे टीवी कॉमेडी शो के संवाद।
2. संगीत की भाषा: गीतों और गजलों में जो शब्द होते हैं, वे सुर और ताल के साथ मिलकर भावनाओं के जगाते हैं।
3. नाटकीय भाषा : नाटकों और फिल्मों में संवाद ऐसी शैली में होते हैं कि वे कहानी और पात्रों को जीवंत बना दें।
4. कहानी की भाषा : उपन्यास, लघुकथा और लोक कथाओं में मनोरंजन के लिए रोचक और सरल शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
5. खेल - कूद की भाषा : खेल कमेड्री में जो उत्साह और जोश भरे शब्द होते हैं, वे भी मनोरंजन का हिस्सा हैं।

## उदाहरण:

1. टीवी कार्यक्रम- कॉमेडी नाइट्स, टॉक शो, रियलिटी शो में हल्की फुल्की भाषा का प्रयोग
2. रेडियो - आरजे (रोडयो जॉकी) का मजेदार अंदाज, चुटकुले और श्रोताओं से दोस्ताना बातचीत।
3. फिल्में - मसालेदार संवाद, हास्यप्रद दृश्य और भावुक गीत।
4. सोशल मीडिया - मीम्स, फनी वीडियो और जोक वाले पोस्ट।

## कहाँ दिखती है मनोरंजन वाली हिन्दी?




### फिल्में, टीवी और रेडियो

मसालेदार संवाद, कॉमेडी शो और रेडियो जॉकी (आरजे) का मजेदार अंदाज़ इसी भाषा में होता है।



### सोशल मीडिया की दुनिया

मीम्स (Memes), फनी वीडियो (Funny Videos) और व्हाट्सएप चैट में यही आसान हिन्दी छाई हुई है।



### गीत और संगीत की आत्मा

गीतों और गजलों के शब्द सुर और ताल के साथ मिलकर श्रोताओं के मन को बाँध लेते हैं।

## मनोरंजन की भाषा का महत्त्व



तनाव कम करना



सामाजिक जुड़ाव



संस्कृति का प्रचार

### सकारात्मक उपयोग



शालीनता



सकारात्मक संदेश



स्थानीय संस्कृति

### मनोरंजन की भाषा का महत्त्व:

1. तनाव कम करना: यह हमारी मानसिक थकान को दूर करती है और मन को हल्का करती है।
2. सामाजिक जुड़ाव : एक मजेदार कहानी या चुटकुला लोगों को आपस में जोड़ देता है।
3. संस्कृति का प्रचार लोकगीत, लोकनाटक और हास्य - कविताओं के जरिए परंपराएं और संस्कृति अगली पीढ़ी तक पहुंचती है।
4. भाषा का विकास : मनोरंजन के जरिए नए शब्द, कहावतें और बोलचाल की शैलियाँ प्रचलन में आती हैं।

### चुनौतियाँ:

1. अशोभनीय भाषा का प्रयोग : कभी-कभी मनोरंजन में भद्दे या अपमानजनक शब्द भी इस्तेमाल हो जाते हैं जो गलत असर डालते हैं।
2. अत्यधिक व्यावसायीकरण : लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कभी - कभी भाषा की गुणवत्ता गिर जाती है।

### सकारात्मक उपयोग के उपाय:

1. शालीनता बनाए रखना : मनोरंजन की भाषा में सभ्यता और आदर का भाव होना चाहिए।
2. सकारात्मक संदेश : हंसी-मजाक के साथ जीवन में प्रेरणा और सकारात्मक सोच देने वाले शब्दों का प्रयोग।
3. स्थानीय संस्कृति का समावेश : लोकभाषा, लोकगीत और कहावतों का प्रयोग कर मनोरंजन को और अपनापन देना।

### निष्कर्ष:

मनोरंजन की भाषा केवल हँसी-मजाक का साधन नहीं है, यह हमारे जीवन में ताजगी और ऊर्जा लाती है जब यह भाषा सरल, सामाजिक जुड़ाव रोचक और शालीन होती है, तो यह सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आनंददायक बनती है। इसमें हमारी संस्कृति, भावनाएँ और सृजनात्मकता छिपी होती है। इसलिए, मनोरंजन की भाषा को सिर्फ मजाक तक सीमित न रखकर इसे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में का माध्यम बनाना चाहिए।

दीपाली मूर्ति

कनिष्ठ सहायक, अनिडको

# प्रशासन में राजभाषा हिन्दी

हम सभी के मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि राजभाषा हिंदी का अर्थ क्या है? सामान्यतः राजभाषा का तात्पर्य उस भाषा से है, जिसका प्रयोग सरकारी कार्यों, प्रशासनिक दस्तावेजों तथा सरकारी संवाद में किया जाता है। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कैसे मिली, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे जानना हम सभी भारतीयों के लिए आवश्यक है। भारत की आजादी से पूर्व अंग्रेजों का शासन था, और उस समय अंग्रेजी ही प्रशासनिक भाषा थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, तब यह निर्णय लेना आवश्यक था कि भारत की शासकीय भाषा क्या होगी। इस विषय पर संविधान सभा में गहन चर्चा और बहस हुई। कुछ सदस्य हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे, वहीं कुछ अंग्रेजी को बनाए रखने के समर्थन में थे।

अंततः 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, भारत की राजभाषा होगी। साथ ही यह भी तय किया गया कि अंग्रेजी का उपयोग सहायक भाषा के रूप में 15 वर्षों तक (अर्थात् 1965 तक) किया जाएगा। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में हर वर्ष 14 सितंबर को 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

भारत के संविधान का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। हम सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के नाते, हम पर यह दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि हम राजभाषा नीति का पूर्णतः अनुपालन करें। भारत सरकार हमसे यह अपेक्षा रखती है कि हम संविधान की धाराओं तथा सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और अधिनियमों का पालन ईमानदारी पूर्वक करें।

भाषाओं के आधार पर राज्यों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है:-

**क क्षेत्र:** बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमकहल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह।

**ख क्षेत्र:** गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ़।

**ग क्षेत्र:** "क" और "ख" क्षेत्र के अलावा अन्य सभी राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह 'क क्षेत्र' के अंतर्गत आता है, अतः यहाँ 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में किया जाना अनिवार्य है। यह क्षेत्र 'मिनी इंडिया' के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग निवास करते हैं। तो शत प्रतिशत अनुपालन सम्भव नहीं हो रहा है लेकिन प्रयास जारी है।





हिंदी हमारी संस्कृति और हमारी  
सभ्यता की धड़कन है।

-सरदार वल्लभभाई पटेल



माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा वर्ष 2003 में सभी विभागाध्यक्षों से परामर्श के पश्चात एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, जिसमें हिंदी के प्रयोग से संबंधित विशिष्ट निर्देश दिए गए। इस आदेश के अंतर्गत कुछ कार्य ऐसे चिन्हित किए गए, जिन्हें प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी को नियमपूर्वक और अनिवार्यतः हिंदी में करना है। यह हमारा नैतिक एवं संवैधानिक दायित्व है कि जब तक हम सेवा में हैं, इन आदेशों का पूरी निष्ठा से पालन करें। यह कार्य निम्नलिखित है:-

1. अर्जित अवकाश से संबंधित सभी कार्य (टीप, आदेश) पूर्णता हिंदी में होंगे।
2. सामान्य भविष्य निधि से संबंधित सभी कार्य (टीप, आदेश) पूर्णता हिंदी में होंगे।
3. बैठक बुलाये जाने से संबंधित सूचना हिंदी और अंग्रेजी में साथ साथ जारी किये जाना चाहिए।
4. राजभाषा अधिनियम 1967 की धारा 3/3 के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात अनिवार्य रूप में द्विभाषी में ही जारी होंगे।
5. सेवा पुस्तिका में सेवा सत्यापन संबंधी प्रविष्टि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया जाना चाहिए। इसके लिए विभाग रबर मुहर बनाकर उसका प्रयोग करेंगे।
6. सभी विभागों/ कार्यालयों द्वारा जारी होने वाले पत्रों में पत्र शीर्ष हिंदी तथा अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में होना चाहिए।
7. आकस्मिक अवकाश सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में दिया करेंगे।
8. समयोपरिभत्ता / मानदेय की स्वीकृति संबंधित मामले (टीप, आदेश) पूर्णता हिंदी में करेंगे।
9. स्टॉक रेजिस्टर में प्रविष्टिया पूर्णता हिंदी में की जाएगी।
10. स्मरण पत्र (रिमांडर) द्विभाषी रूप में जारी होगा।

राजभाषा अधिनियम 1963 (1967 में संशोधित) की धारा 3(3) के केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज द्विभाषी में जारी किया जाना अनिवार्य है:-

संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासनिक रिपोर्ट, अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक दस्तावेज एवं अन्य प्रतिवेदन, संविदा, करार, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा -पत्र, सूचना और निविदा।

इन सभी दस्तावेजों को द्विभाषी जारी करने की जिम्मेदारी हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की है और विभागों/कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन के लिए कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।

14 सितम्बर से 28 सितम्बर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्कूली बच्चों और कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। "हिंदी हमारे दिलों की भाषा है जब यह दफ्तरों की भी भाषा बने, तो राष्ट्र की आत्मा और अधिक सशक्त होगी। "

आशा

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी,  
पर्यावरण एवं वन विभाग

# शासकीय कार्यों में उपयोगी ई-टूल्स

## शासकीय कार्यों में उपयोगी ई-टूल्स

भारत जैसे बहुभाषी देश में, गूगल ट्रांसलेट, भाषिणी और कंठस्थ जैसे अनुवाद ई-टूल्स भाषा की बाधाओं को दूर करते हैं। ये उपकरण प्रशासनिक कार्यों को सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाने में मदद करते हैं, जिससे दक्षता बढ़ती है।



त्वरित संचार और गैर-संवैदनशील दस्तावेजों के अनुवाद के लिए उपयोगी।



भारतीय भाषाओं पर केंद्रित, जो अधिक सटीक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त अनुवाद प्रदान करता है। ई-गवर्नेंस पोर्टलों के स्थानीयकरण के लिए आदर्श।

भारत जैसे बहुभाषी देश में प्रशासनिक कार्यों की प्रभावशीलता भाषा की समझ और संप्रेषण पर निर्भर करती है। संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के साथ-साथ सैकड़ों बोलियाँ देशभर में प्रचलित हैं। ऐसे में शासकीय कार्यों में भाषा की बाधा को दूर करने के लिए अनुवाद टूल्स जैसे गूगल ट्रांसलेट, भाषिणी और कंठस्थ अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ये टूल्स न केवल संचार को सरल बनाते हैं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, समावेशिता और दक्षता को भी बढ़ावा देते हैं।

1. **गूगल ट्रांसलेट की भूमिका** : गूगल ट्रांसलेट एक बहुभाषी अनुवाद प्लेटफॉर्म है जो 100 से अधिक भाषाओं में अनुवाद की सुविधा देता है। शासकीय कार्यों में इसकी उपयोगिता निम्नलिखित रूपों में देखी जा सकती है:

- **दस्तावेज़ अनुवाद:** सरकारी परिपत्र, अधिसूचनाएँ, आदेश आदि को हिंदी से अंग्रेज़ी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित करने में सहायक।
- **तत्काल संचार:** अधिकारियों और नागरिकों के बीच भाषा की बाधा को दूर कर संवाद को सहज बनाना।
- **वेब पोर्टल्स का स्थानीयकरण:** सरकारी वेबसाइटों को बहुभाषी बनाने में मदद, जिससे नागरिक अपनी मातृभाषा में सेवाओं का लाभ उठा सकें।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण:** सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न भाषाओं के कर्मचारियों को एक समान सामग्री उपलब्ध कराना। हालांकि, गूगल ट्रांसलेट में कभी-कभी व्याकरणिक त्रुटियाँ या संदर्भ से हटकर अनुवाद देखने को मिलते हैं, विशेषकर तकनीकी या विधिक शब्दावली में। इसलिए मानव संपादन की आवश्यकता बनी रहती है।

2. **भाषिणी - भारत सरकार की पहल** : भाषिणी भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता और अनुवाद को बढ़ावा देना है। यह टूल विशेष रूप से शासकीय कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है और निम्नलिखित क्षेत्रों में उपयोगी है:

- **आधिकारिक दस्तावेज़ों का अनुवाद:** हिंदी, अंग्रेज़ी और अन्य भारतीय भाषाओं में सरकारी फाइलों, रिपोर्टों और अधिसूचनाओं का सटीक अनुवाद।
- **विधिक और प्रशासनिक शब्दावली का मानकीकरण:** जिससे एकरूपता बनी रहे और भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो।
- **वॉयस-टू-टेक्स्ट और टेक्स्ट-टू-वॉयस सुविधा:** जिससे दृष्टिबाधित या कम साक्षर नागरिक भी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें।
- **स्थानीय भाषाओं में सेवाओं का विस्तार:** जैसे कि आयुष्मान भारत, डिजी लॉकर, या ई-गवर्नेंस पोर्टल्स को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना। भाषिणी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भारतीय भाषाओं पर केंद्रितता है, जिससे यह गूगल ट्रांसलेट की तुलना में अधिक सटीक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त अनुवाद प्रदान करता है।

**3. कंठस्थ** – भारत सरकार द्वारा विकसित “कंठस्थ” एक अनुवाद सॉफ्टवेयर है जो अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद उपलब्ध करता है। यह सॉफ्टवेयर कम से कम समय में बहुत अधिक मात्रा में शासकीय कार्यों का सटीकता के साथ अनुवाद उपलब्ध करता है। यह यह टूल शासकीय कार्यों में निम्नलिखित रूपों में सहायक है:

- फील्ड वर्क में सहायक: जैसे कि सर्वेक्षण, जनगणना, या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारियों द्वारा स्थानीय भाषा में संवाद।
- ऑफ़लाइन अनुवाद सुविधा: इंटरनेट की अनुपलब्धता में भी कार्य करने की क्षमता।
- सरल इंटरफ़ेस: जिससे कम तकनीकी ज्ञान वाले कर्मचारी भी इसका उपयोग कर सकें।
- स्थानीय शब्दों और मुहावरों की समझ: जिससे अनुवाद अधिक स्वाभाविक और प्रभावी बनता है।

कंठस्थ जैसे टूल्स विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी हैं जहाँ इंटरनेट की पहुँच सीमित है और स्थानीय भाषाओं का बोलबाला है।

**4. चुनौतियाँ और सावधानियाँ :-** हालांकि ये टूल्स अत्यंत उपयोगी हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- संदर्भ की समझ की कमी: मशीन अनुवाद कभी-कभी भावार्थ को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता।
- तकनीकी शब्दावली में त्रुटियाँ: विशेषकर विधिक, चिकित्सा या तकनीकी दस्तावेज़ों में।
- मानव संपादन की आवश्यकता: अंतिम रूप से सटीकता सुनिश्चित करने के लिए।
- डेटा गोपनीयता: संवेदनशील दस्तावेज़ों के अनुवाद में सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है।

इसलिए इन टूल्स का उपयोग करते समय मानव संपादन, समीक्षा और गोपनीयता नीति का पालन अनिवार्य है।

गूगल ट्रांसलेट, भाषिणी और कंठस्थ जैसे अनुवाद टूल्स ने शासकीय कार्यों में भाषा की बाधा को काफी हद तक कम कर दिया है। इनकी सहायता से प्रशासनिक कार्य अधिक समावेशी, पारदर्शी और दक्ष बन रहे हैं। हालांकि पूर्ण निर्भरता उचित नहीं है, लेकिन इन टूल्स को मानव विशेषज्ञता के साथ मिलाकर उपयोग करने से एक सशक्त बहुभाषी प्रशासन की नींव रखी जा सकती है। भविष्य में इन टूल्स के और अधिक परिष्कृत संस्करण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानीय भाषाई डेटा के साथ मिलकर भारत को एक "भाषाई समावेशी डिजिटल राष्ट्र" बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

## चुनौतियाँ और सावधानियाँ



### संदर्भ और भावार्थ की समझ का अभाव

मशीन अनुवाद कभी-कभी वाक्यों के सही भाव को नहीं पकड़ पाता है।



### डेटा गोपनीयता का ध्यान रखें

संवेदनशील सरकारी दस्तावेज़ों का अनुवाद करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अजय सिंह

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी  
राजभाषा विभाग

# कार्यशालाओं से कवि सम्मेलनों तक: हिंदी को जीवंत बनाना

- **प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ:** कंप्यूटर पर हिंदी टंकण, ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग, और ई-टूल्स पर प्रशिक्षण।
- **हिंदी दिवस और पखवाड़ा (14-28 सितंबर):** कर्मचारियों और छात्रों के लिए निबंध, वाक्-पटुता, और काव्य-पाठ जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- **अनुवाद कार्य:** महत्वपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेजों, रिपोर्टों और भाषणों का अनुवाद।
- **प्रचार-प्रसार:** राजभाषा संगोष्ठी और राज्य स्तरीय हास्य कवि सम्मेलन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन।



रिपोर्टें

# हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म / सोशल मीडिया की भाषा

कुछ वर्ष पहले जब मैंने सामाजिक माध्यम का उपयोग शुरू किया, तब मेरी समय-रेखा पर ज्यादातर संदेश और लेख अंग्रेजी में होते थे। उस समय मुझे लगता था कि आभासी संसार में हिंदी की भूमिका सीमित है। लेकिन धीरे-धीरे देखा कि लोग विचार, चुटकुले, कहानियाँ और व्यापार भी हिंदी में करने लगे हैं। अब तो मेरी संदेश-पट पर रोज़ ऐसे संदेश आते हैं जिनमें अपनापन, भावनाएँ और ताज़गी केवल हिंदी शब्दों के माध्यम से झलकती है। यही बदलाव मुझे हिंदी के डिजिटल सफ़र पर सोचने को प्रेरित करता है। रिपोर्टें



## 1. हिंदी का सफ़र

हिंदी पहले अखबार, पुस्तक, रेडियो जैसे पारंपरिक साधनों तक सीमित थी। लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट ने इसे कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन तक पहुँचा दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे मंचों पर हिंदी अब एक प्रमुख संवाद भाषा है। गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने भी हिंदी इंटरफ़ेस उपलब्ध कराया, जिससे गैर-अंग्रेजी भाषी लोगों के लिए ऑनलाइन जुड़ना आसान हो गया।

## 2. अतीत से वर्तमान तक - हिंदी का ऐतिहासिक सफ़र

हिंदी की जड़ें संस्कृत में हैं, जो अपभ्रंश और प्राकृत से होते हुए आधुनिक रूप में पहुँची।

- भक्ति काल (14वीं-17वीं शताब्दी) - कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे संत-कवियों ने इसे जनभाषा बनाकर जन-जन तक पहुँचाया।
- आधुनिक काल (19वीं-20वीं शताब्दी) - छापाखाने के आगमन के बाद भारतेन्दु हरिश्चंद्र जैसे लेखकों ने पत्रकारिता और साहित्य में हिंदी को पहचान दी।
- स्वतंत्रता संग्राम - 1857 के बाद से गांधी युग में हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जनजागरण का माध्यम बनी।
- रेडियो और टीवी युग - आकाशवाणी और दूरदर्शन ने हिंदी को पूरे देश में जोड़ने वाली भाषा बनाया।

आज सोशल मीडिया उसी ऐतिहासिक निरंतरता का डिजिटल अध्याय है, जहाँ हिंदी एक बार फिर जनसंपर्क का सबसे सशक्त माध्यम बन रही है।

## 3. सामाजिक माध्यम की हिंदी - बोलचाल और रचनात्मकता

डिजिटल मंचों पर हिंदी पारंपरिक साहित्यिक शैली से अलग, अधिक बोलचाल और असरदार रूप में दिखती है।

- मिश्रित भाषा - “मस्त फोटो था यार” जैसे वाक्य, जिनमें हिंदी-विदेशी शब्द मिलते हैं।
- भाव-चित्र व हास्य-चित्र - इमोजी, मीम और छोटे वीडियो भावनाओं को तुरंत व्यक्त करते हैं।
- संक्षिप्त लेखन - लंबे लेखों की जगह छोटे, सीधे और तेज़ संदेश पढ़े जाते हैं।

## 4. बढ़ता जुड़ाव

मातृभाषा में सामग्री होने से लोग सहज रूप से जुड़ते हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर महानगरों तक, लोग हिंदी में वीडियो देखते, कविता पढ़ते और चुटकुले साझा करते हैं। जैसे भक्ति काल में कवियों ने लोकभाषा से जनता को जोड़ा, वैसे ही आज डिजिटल रचनाकार लाखों दर्शकों से जुड़ रहे हैं।

# डिजिटल दुनिया में हिंदी: नया दौर, नया अंदाज़

## पारंपारिक से डिजिटल तक का सफ़र



## 5. व्यापार और प्रचार में हिंदी

डिजिटल प्रचार में भी हिंदी का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े ब्रांड तक अपने विज्ञापन हिंदी में बना रहे हैं ताकि ग्राहकों से सीधा जुड़ाव हो। यह स्थिति वैसी ही है जैसी स्वदेशी आंदोलन के समय थी, जब दुकानदार हिंदी में नारे लिखकर जनता को आकर्षित करते थे।

## 6. चुनौतियाँ

- शुद्धता बनाम बोलचाल – कई लोग सोशल मीडिया की हिंदी को “अधूरी” मानते हैं।
- नए शब्दों की कमी – तकनीकी विषयों के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द खोजना मुश्किल है।
- भ्रामक सामग्री – आसान पहुँच का मतलब है कि अफवाहें और अनुचित टिप्पणियाँ भी तेज़ी से फैल सकती हैं।

## 7. भविष्य की संभावनाएँ

आने वाले समय में हिंदी का डिजिटल संसार और व्यापक होगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वॉयस असिस्टेंट और अनुवाद तकनीक हिंदी सामग्री तैयार करना और पढ़ना आसान बनाएँगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सरकारी सेवाओं में इसका प्रयोग तेज़ी से बढ़ेगा। यह वैसा ही “नया दौर” है जैसा 1826 में पहले हिंदी अख़बार “उदंत मार्तंड” के प्रकाशन के समय आया था।

## 8. मेरा अनुभव और निष्कर्ष

जब मैंने सोशल मीडिया पर हिंदी में लिखना शुरू किया, तो पाठकों की प्रतिक्रियाएँ बढ़ गईं। लोग पढ़ते ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों में जवाब भी देते थे। यह अनुभव बताता है कि हिंदी का प्रयोग केवल भाषा का चयन नहीं, बल्कि संस्कृति, भावनाओं और पहचान का सम्मान है।

डिजिटल युग में हिंदी ने साबित कर दिया है कि यह किसी भी अंतरराष्ट्रीय भाषा से कमज़ोर नहीं। यह हमारी भावनाओं की भाषा है, और यही कारण है कि यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक और सशक्त है।

के. सत्यानारायण,  
वरिष्ठ सहायक, अनिडको

# जय हिन्द

राजभाषा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ,  
श्री विजयपुरम-744101  
दूरभाष : 03192239077 | ईमेल : dsol.and@mic.in